भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2785981-AO / 2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या 11(1)2017-2018/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 29.05.2017

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के 140 पेड़ हैं जिनमें खजूर फल लगे हुए हैं । इन खजूर फलों की नीलामी फलों की ग्रीष्म ऋतु (माह जून–जुलाई) वर्ष 2017 हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं दिनांक 09.06.2017 प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर अखबार जोधपुर संस्करण में दिनांक 30.05.2017 को प्रकाशित है ।

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2785981-AO / 2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या 11(1)2017-2018/प्रशासन चतुर्थ दिनांक : 29.05.2017

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 09.06.2017 समय प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 09.06.2017 समय प्रातः 11.30 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा दाता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :
सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् ——————————————————
——————————————————————
——————————————————————

विषय : भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की ग्रीष्म ऋतु (माह जून–जुलाई) वर्ष 2017 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से के0शु0क्षे0अ0सं0 (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु (माह जून–जुलाई) वर्ष 2017 हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म / पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 09.06.2017 समय प्रातः 11.00 बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक / कोरियर द्वारा पहुॅच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएँ दिनांक 09.06.2017 समय 11.30 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	सस्थान के बागवानी क्षेत्र में खजूर के पेड़ों की संख्या जिनमें खजूर फल लगे हैं ।
1.	इस संस्थान के बागवानी क्षेत्र में खजूर के लगभग 140 पेड़ हैं, जिनमें फल लगे हैं ।	140 खजूर के पेड. जिनमें खजूर फल लगे हैं ।

नोट : न्यूनतम सरकारी दर रूपये 50,000 रखी गई है । इस सरकारी न्यूनतम दर से कम कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।

खजूर के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 2000.00 ICAR Unit -CAZRI, Jodhpur नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा नकद में इस संस्थान के रोकडि़या को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/ वेट (if applicable) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदादाता उपरोक्त खजूर के पेड़ों का निरीक्षण निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **खजूर के फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे खोली जाएगी ।
5. सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2017 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुक्सान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
7. स्वीकृत अधिकतम सफल निविदादाता को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. इस संस्थान को अनुसन्धान और सेम्पलिंग के लिए निर्धारित 50 किलो ग्राम खजूर के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
9. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
10. सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
11. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
12. निविदादाता को इन नियम व शर्तो को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
13. अन्य शर्ते नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा खजूर फल की ग्रीष्म ऋतु में फल तुड़ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
16. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा खजूर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को ठेके की राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व खजूर फल तौडने की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
18. खजूर फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. ठेकेदार द्वारा फल तौड़ने की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण से फलों का नुक्सान होने की अवस्था में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
20. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
21. खजूर फलों की तुड.ाई की अवधि फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2017 के लिए नीलामी की दिनांक से 30 जुलाई, 2017 तक अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
22. नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी होगी के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

खजूर फलों की नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 2000/–अमानत राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा अथवा नकदी में संस्थान के रोकड़िये को जमा करा कर नकदी रसीद निविदा के संलग्न जमा करानी होगी । अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, निविदादाता ठेकेदार/फर्म का बैंक संबंधी विवरण (RTGS) एवं पेन संख्या अवश्य लिखें तथा पेन कार्ड (PAN allotted by Income tax department) की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0,(काजरी) को होगा ।
6. खजूर फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुॅचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशकए भा.कृ.अनु.प.–के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का ह्रोगा ।
10. खजूर फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान खजूर फलों की नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा खजूर फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. खजूर फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण **अनुसरण/निर्वाह** करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. फील्ड श्रमिक, फलों की तुड़वाई,एवं अन्य कार्यो में बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों तथा पशु पक्षियों को नुक्सान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक